NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-10-2025

विषय सूची

» ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा
» सरोगेसी अधिनियम के पूर्वव्यापी आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय
» विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
» शिक्षित भारतीयों की बेरोजगारी
» भारत में सौर मंदता

संक्षिप्त समाचार

» अटाकामा मरूस्थल
» जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
» अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना
» संयुक्त राष्ट्र अपनी वैश्विक शांति सेना में 25% की कटौती करेगा
» प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता (PMDA)
» सक्षम
» साहित्य में नोबेल पुरस्कार, 2025

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा

समाचार में

- भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की, जिसमें कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की गई।

मुख्य निष्कर्ष

- **आर्थिक और व्यापार:** भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को सुदृढ़ किया गया, जिससे बाजार पहुंच बढ़ेगी, शुल्क कम होंगे तथा रोजगार सृजन होगा।
  - 64 भारतीय निवेश परियोजनाएं, £1.3 बिलियन मूल्य की, जो ब्रिटेन में इंजीनियरिंग, तकनीक और रचनात्मक क्षेत्रों में 6,900 रोजगार सृजित करेंगी।
- **जलवायु और ऊर्जा:** AI और जलवायु परिवर्तन में उन्नत अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना, और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के चरण 2 का शुभारंभ, जिसमें IIT-ISM धनबाद में एक नया परिसर शामिल है।
  - ऑफशोर विंड और ग्लोबल क्लीन पावर एलायंस (GCPA) के माध्यम से सहयोग पर सहमति।
    - भारत–ब्रिटेन जलवायु वित्त पहल का शुभारंभ।
- **रक्षा और सुरक्षा:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ाया गया, जिसमें भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के अंतर्गत एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (RMSCE) की स्थापना शामिल है।
  - भारत की वायु रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार-से-सरकार आपूर्ति समझौते के तहत हल्के मल्टीरोल मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पर सहमति।
- **शिक्षा, संस्कृति और जन-से-जन संपर्क:** क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को गुजरात के GIFT सिटी में परिसर खोलने की अनुमति दी गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **तकनीकी सहयोग:** टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) का विस्तार, जिसमें नए संयुक्त संस्थान शामिल हैं:
  - भारत–ब्रिटेन कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर
  - ब्रिटेन–भारत क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी
  - ब्रिटेन–भारत क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड

महत्व

- 2025 की यह यात्रा रणनीतिक संबंधों को गहरा करती है, जिससे ब्रेक्सिट के बाद भारत को ब्रिटेन का प्रमुख साझेदार के रूप में पुनः पुष्टि मिलती है।
- भारत–ब्रिटेन विज़न 2035 का विस्तार करते हुए क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा सह-उत्पादन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नए सहयोग स्तंभ जोड़े गए हैं।
- दोनों देशों की इंडो-पैसिफिक नीतियों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संरेखित किया गया है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाया गया है।

Source: TH

सरोगेसी अधिनियम के पूर्वव्यापी आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय

समाचार में

- एक ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमाएं उन दंपतियों पर प्रतिपक्षीय रूप से लागू नहीं होंगी जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले भ्रूण को फ्रीज़ किया और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **न्यायसंगतता का सिद्धांत:** प्रतिपक्षीय कानून जो स्थापित अधिकारों को प्रभावित करते हैं या नए भार डालते हैं, वे न्यायसंगतता और विधिक निश्चितता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

- **गोपनीयता और शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार:** के.एस. पुट्टस्वामी (2017) के निर्णय से व्युत्पन्न, प्रजनन संबंधी निर्णय व्यक्ति की निजी सीमा में आते हैं क्योंकि प्रजनन स्वायत्तता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का भाग है।
- **लैंगिक और समानता का दृष्टिकोण:** प्रतिबंधात्मक व्याख्या महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है, जो पहले से ही प्रजनन विकल्पों में जैविक और सामाजिक सीमाओं का सामना करती हैं।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत में सरोगेसी प्रक्रियाओं को विनियमित करना और केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देना; व्यावसायिक सरोगेसी निषिद्ध है।
- **इच्छुक दंपति की पात्रता (भावी):** भारतीय नागरिक, कम से कम 5 वर्षों से विवाहित; महिला की आयु 23–50 वर्ष, पुरुष की आयु 26–55 वर्ष; चिकित्सकीय रूप से बांझ होना आवश्यक।
- **सरोगेट की पात्रता:** एक विवाहित महिला जिसके स्वयं का कम से कम एक बच्चा हो और जिसकी आयु 25–35 वर्ष के बीच हो।
- **संस्थागत संरचना:** राष्ट्रीय/राज्य सरोगेसी बोर्ड; उपयुक्त प्राधिकरण जो लाइसेंसिंग, अनुपालन और नैतिकता की निगरानी करेंगे।
- **दंड:** व्यावसायिक सरोगेसी, भ्रूण/गैमेट की बिक्री पर अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Source: TH

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

संदर्भ

- प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक बीमारी की व्यापकता को उजागर करता है।

परिचय

- **वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य समस्या (WHO के अनुसार):** एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों के साथ जी रहे हैं।
  - 2021 में सभी आयु वर्गों में अनुमानित 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें प्रत्येक एक आत्महत्या के पीछे 20 से अधिक प्रयास होते हैं।
  - आत्महत्या वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 100 मृत्युओं में से एक का कारण है।

The global prevalence of mental disorders in 2021

- **सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकार:** चिंता और अवसादजन्य विकारों ने 2021 में सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा लिया।
  - 2011 से 2021 के बीच मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या वैश्विक जनसंख्या की तुलना में तीव्रता से बढ़ी।
- **भारत में मानसिक स्वास्थ्य:** भारत में मानसिक विकारों की जीवनकाल प्रचलन दर 13.7% है।
  - NCRB के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2023 में 1,71,418 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जो 2022 से 0.3% अधिक थीं, जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे अधिक संख्या दर्ज की।
  - अत्यधिक चिंता का विषय यह है कि छात्र आत्महत्याएं 13,892 तक पहुंच गईं, जो विगत दशक में 64.9% की वृद्धि है।

युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वृद्धि

- **अत्यधिक इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग:** चिंता, नींद संबंधी विकार और ध्यान की समस्याएं उत्पन्न करता है।
- **पारिवारिक सहभागिता की कमी:** कमजोर सामाजिक समर्थन प्रणाली भावनात्मक कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- **शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल और लंबे कार्य घंटे:** थकावट, तनाव और उत्पादकता में कमी का कारण बनते हैं।

- **अस्वस्थ जीवनशैली विकल्प:** अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और शारीरिक गतिविधि की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं।

मानसिक कल्याण के बारे में

- भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मानसिक कल्याण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें शामिल हैं:
  - **भावनात्मक स्वास्थ्य:** तनाव और भावनाओं का प्रभावी प्रबंधन।
  - **सामाजिक स्वास्थ्य:** स्वस्थ संबंधों और सहायक समुदाय का निर्माण।
  - **संज्ञानात्मक स्वास्थ्य:** ध्यान, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाना।
  - **शारीरिक स्वास्थ्य:** स्वस्थ जीवनशैली के माध्यम से समग्र फिटनेस बनाए रखना।

भारत में मनोचिकित्सकीय स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियाँ

- **मनोचिकित्सालयों की खराब स्थिति:** प्रायः क्रूरता, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और निम्न जीवन स्थितियों से जुड़ी होती है।
  - यह प्रणालीगत उपेक्षा और अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र को दर्शाता है।
- **कम बजट:** मानसिक स्वास्थ्य को कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 1% आवंटित किया जाता है, जिसमें अधिकांश राशि संस्थानों को जाती है, न कि सामुदायिक देखभाल को।
- **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी:** भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल बहुत कम है; प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक और 0.12 मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि WHO के अनुसार कम से कम तीन मनोचिकित्सक होने चाहिए।
- **असमान वितरण:** जिला मुख्यालयों में कुछ मनोचिकित्सक हैं, जबकि कस्बों/गांवों में लगभग नहीं के बराबर।
  - इससे शहरी-ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में अंतर उत्पन्न होता है।
- **सुलभता और आर्थिक बाधाएं:** ग्रामीण/भीतरी क्षेत्रों में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
  - देखभाल के लिए यात्रा करने से मजदूरी की हानि होती है, जो गरीब परिवारों के लिए असहनीय है।
  - गंभीर मानसिक बीमारी वाले मरीज सामान्यतः कमाने वाले सदस्य नहीं होते, जिससे उनका आर्थिक भार में वृद्धि होती है।

भारत सरकार की प्रमुख पहलें

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** इस अधिनियम ने भारत में आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण में WHO के दिशा-निर्देशों को शामिल किया।
  - अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान "पूर्व निर्देश" था, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को अपने उपचार का मार्ग तय करने की अनुमति देता है।
  - इसने इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव थेरेपी (ECT) के उपयोग को सीमित किया और नाबालिगों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही भारतीय समाज में कलंक से निपटने के उपाय प्रस्तुत किए।
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017:** यह अधिनियम मानसिक बीमारी को विकलांगता के रूप में स्वीकार करता है और विकलांगों के अधिकारों एवं लाभों को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- **सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे सरकार को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया।
- **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP):** 767 जिलों में संचालित, आत्महत्या रोकथाम, तनाव प्रबंधन और परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP):** 2022 में शुरू किया गया, जो 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली MANAS सेल्स के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य क्षमता का विस्तार:** मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक संसाधनों को सुदृढ़ करना।

आवश्यक सुधार उपाय

- मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय को कुल स्वास्थ्य व्यय का 5% तक बढ़ाना (WHO मानक)।
- ग्रामीण पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए मध्य-स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को प्रशिक्षित और तैनात करना।
- मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक देखभाल और सार्वभौमिक बीमा योजनाओं में पूरी तरह से एकीकृत करना।
- जिला स्तर पर जवाबदेही के साथ निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना।
- स्कूलों और कार्यस्थलों में विशेष रूप से कलंक विरोधी एवं जागरूकता अभियानों का विस्तार करना।
- एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य रणनीति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करना।

निष्कर्ष

- भारत की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली तीन प्रमुख कमियों का सामना कर रही है — बजट, कार्यबल और शासन में।
- इन अंतरालों को समाप्त करने के लिए नीति एकीकरण, विकेंद्रीकृत सेवा वितरण और सामाजिक कलंक को दूर करना आवश्यक है, जिससे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं एवं WHO दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुधार संभव हो सके।

Source: TH

शिक्षित भारतीयों की बेरोजगारी

संदर्भ

- भारत में शिक्षित बेरोजगारी में तीव्रता देखी जा रही है, जहाँ डिग्रीधारी कम-कुशल रोजगारों के लिए आवेदन कर रहे हैं।
  - यह श्रम बाज़ार की गहरी परेशानी को उजागर करता है और शिक्षा तथा रोजगार की आवश्यकताओं के बीच असंगति को दर्शाता है।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ

- **अत्यधिक अर्हता:** डिग्रीधारियों द्वारा सफाईकर्मी और चपरासी जैसी भूमिकाओं के लिए आवेदन करना दर्शाता है कि सम्मानजनक प्रारंभिक औपचारिक रोजगारों की भारी कमी है।
- **कैंपस प्लेसमेंट तनाव:** प्रतिष्ठित संस्थानों के कई स्नातक बिना रोजगार के रह जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च-कुशल श्रमिकों की कम मांग को दर्शाता है।
- **वेतन स्थिरता:** नए कर्मचारियों का वेतन वर्षों से ₹3–4 लाख प्रति वर्ष के आसपास बना हुआ है, जबकि महंगाई बढ़ती रही है, जिससे वास्तविक आय में गिरावट आई है।
- **मानव लागत:** बेरोजगारों में आत्महत्या की घटनाएँ मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और सामाजिक अस्थिरता को दर्शाती हैं।

प्रमुख कारण

- **कौशल असंगति:** लगभग 33% स्नातकों का कहना है कि उनके कौशल उद्योग की आवश्यकताओं से सामंजस्यशील नहीं हैं।
  - उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रायः ऐसे कोडर्स तैयार करते हैं जिन्हें व्यावहारिक परियोजना अनुभव नहीं होता, जिससे वे स्टार्टअप या टेक कंपनियों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं।
- **बेरोजगार वृद्धि और कम रोजगार लोच:** सेवाएँ GDP में 54% से अधिक योगदान देती हैं, लेकिन केवल 30% से कम रोजगार उत्पन्न करती हैं।
  - वहीं, पारंपरिक रूप से बड़े कार्यबल को रोजगार देने वाला विनिर्माण क्षेत्र नीतिगत और बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण कमजोर बना हुआ है।
- **कमज़ोर उद्योग-शैक्षणिक संस्थान संबंध:** केवल 12% उत्तरदाताओं ने किसी भी प्रकार की कैंपस भर्ती या प्लेसमेंट सहायता की सूचना दी।

- अधिकांश संस्थान सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि व्यावसायिक कौशल या इंटर्नशिप की उपेक्षा करते हैं।

- **लिंग असमानता:** महिला स्नातकों की बेरोजगारी दर 30% से अधिक है, जो सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, सुरक्षा चिंताओं और निजी क्षेत्र के रोजगारों या रात्रि शिफ्टों तक सीमित पहुँच से बाधित है।
  - उदाहरण के लिए, बिहार में महिलाएँ सामाजिक प्रतिबंधों के कारण रोजगार के विकल्पों से वंचित रहती हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** बिहार और झारखंड में शिक्षित बेरोजगारी 35% से अधिक है, जबकि बेंगलुरु और मुंबई जैसे महानगर शहरी युवाओं को आकर्षित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता एवं ग्रामीण-शहरी पलायन का दबाव बढ़ता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

- **बढ़ती सामाजिक असमानता:** दीर्घकालिक शिक्षित बेरोजगारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों के बीच आय एवं अवसर की असमानता को बढ़ाती है, जिससे सामाजिक तनाव तथा असंतोष उत्पन्न होता है।
- **अपराध और सामाजिक अशांति में वृद्धि:** युवाओं में बेरोजगारी प्रायः उच्च अपराध दर, नशे का व्यसन और विरोध या उग्र आंदोलनों में भागीदारी से जुड़ी होती है, जिससे समुदायों की स्थिरता प्रभावित होती है।
- **कौशल और मानव पूंजी का क्षरण:** लंबे समय तक बेरोजगारी से कौशल में गिरावट आती है और भविष्य की रोजगार क्षमता कम होती है, जिससे बेरोजगारी एवं प्रतिभा के कम उपयोग का दुष्चक्र बनता है।
- **परिवार और घरेलू तनाव:** शिक्षित सदस्यों से अपेक्षित आय की हानि से परिवारों में आर्थिक तनाव बढ़ता है, जिससे विवाह में देरी, बच्चों की शिक्षा में निवेश में कमी और स्वास्थ्य परिणामों में गिरावट आती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र पर दबाव:** विस्थापित स्नातक अनौपचारिक, असुरक्षित रोजगारों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, जिससे अस्थिर जीवनशैली एवं कर राजस्व की हानि होती है।
- **शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में देरी:** बेरोजगार युवाओं का महानगरों की ओर पलायन आवास, परिवहन और स्वच्छता प्रणालियों पर दबाव डालता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के समूह:** व्यक्तिगत मामलों से परे, कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी से संबंधित आत्महत्याओं के समूह देखे गए हैं, जो स्थानीय सामाजिक-आर्थिक संकट को दर्शाते हैं और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

नीतिगत अंतर और सुधार की आवश्यकता

- हाल की योजनाएँ (आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, पीएम कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया) ने अवसरों की पहुँच में सुधार किया है, लेकिन इनका पैमाना और गहराई अभी भी अपर्याप्त है।
- भारत के लिए आवश्यक है :
  - **मांग-आधारित शिक्षा:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रोजगार से जुड़ी अप्रेंटिसशिप और व्यावहारिक कौशल को शिक्षा में शामिल किया जाए।
  - **श्रम-प्रधान और हरित विकास:** विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध सेवाओं जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए ताकि अधिक रोजगार सृजित हों।
  - **महिला-केंद्रित नीतियाँ:** सुरक्षित शहरी परिवहन, लचीले कार्य वातावरण और कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
  - **पारदर्शी और विस्तृत डेटा:** श्रम सर्वेक्षणों में राज्य स्तर पर स्नातक बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता के विस्तृत मापदंड शामिल किए जाएँ।

Source: IE

भारत में सौर मंदता

संदर्भ

नेचर की वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित एक हालिया संयुक्त अध्ययन से पता चला है कि भारत में धूप के घंटे प्रदूषण और बादलों की अधिकता के कारण घट रहे हैं, जिससे देश की सौर ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

सौर मंदता क्या है?

- सौर मंदता (Solar Dimming) उस देखी गई प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली सौर विकिरण में कमी आती है। इसके मुख्य कारण हैं:
  - औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों के धुएँ और बायोमास जलाने से उत्पन्न एरोसोल प्रदूषण।
  - लगातार बादल छाए रहना, विशेष रूप से मानसून के महीनों में।
  - शहरी धुंध और आर्द्रता, जो सूर्य की किरणों को प्रकीर्णित एवं अवशोषित करती हैं।

भारत पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **धूप के घंटों में गिरावट:** उत्तर भारतीय मैदानों में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई, जहाँ विगत तीन दशकों में औसतन प्रति वर्ष लगभग 13.1 घंटे की धूप कम हो गई।
- **ट्वॉमी प्रभाव (Twomey Effect):** अध्ययन में ट्वॉमी प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें मानवजनित एरोसोल उत्सर्जन (कारखानों, वाहनों, बायोमास जलाने से) के कारण बादलों की छोटी बूंदों की संख्या बढ़ जाती है।
- **गिरावट का प्रमुख कारण:** दीर्घकालिक सौर मंदता का मुख्य कारण एरोसोल सांद्रता में वृद्धि है, जो मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन, वाहन उत्सर्जन और बायोमास जलाने से उत्पन्न होती है।
  - एरोसोल बादल निर्माण के लिए छोटे बीज की तरह कार्य करते हैं, जिससे आकाश अधिक समय तक ढका रहता है और पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली धूप कम हो जाती है।
  - एरोसोल दो प्रकार के होते हैं: प्राथमिक और द्वितीयक।
    - **प्राथमिक एरोसोल** सीधे उत्सर्जित कण होते हैं जैसे समुद्री नमक, धूल और कालिख।
    - **द्वितीयक एरोसोल** वायुमंडल में गैसों जैसे SO_2, NO_x और VOCs के रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, जो सल्फेट, नाइट्रेट या जैविक एरोसोल में परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रभाव: ऊर्जा, कृषि और जलवायु

- **नवीकरणीय ऊर्जा:** कम होती धूप भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को खतरे में डालती है।
  - 2030 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को खतरे में डालते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में 7% तक की गिरावट हो सकती है।
- **कृषि:** धान और गेहूँ जैसी फसलें, जो प्रकाश संश्लेषण पर अत्यधिक निर्भर हैं, कम प्रकाश तीव्रता के कारण कम उपज दे रही हैं।
- **पर्यावरण:** कम होती धूप हिमालयी हिमनदों के पिघलने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, जिससे जल चक्र एवं क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।

आगत सौर विकिरण (Insolation)

- यह पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को दर्शाता है, जो लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है।
- यह हमारे ग्रह के लिए ऊष्मा और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और वायुमंडलीय तथा जलवायु प्रक्रियाओं को संचालित करता है।
  - पृथ्वी को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
  - यह पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण वर्ष भर थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है:
    - **एफेलियन (सूर्य से सबसे दूर):** 4 जुलाई
    - **पेरिहेलियन (सूर्य के सबसे निकट):** 3 जनवरी भूमि और समुद्र का वितरण, वायुमंडलीय परिसंचरण एवं सूर्य की किरणों का कोण दैनिक मौसम तथा जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आगत सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक

- विभिन्न स्थानों और समयों पर प्राप्त होने वाली आगत सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता निम्नलिखित पर निर्भर करती है:
  - पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन;
  - सूर्य की किरणों का झुकाव कोण;
  - दिन की लंबाई;
  - वायुमंडलीय पारदर्शिता (जिसे बादल, धूल और प्रदूषण प्रभावित करते हैं);
  - स्थलाकृति और भूमि की संरचना।

Source: TOI

संक्षिप्त समाचार

अटाकामा मरूस्थल

समाचार में

- शीतकालीन वर्षा की एक दुर्लभ बौछार ने चिली के अटाकामा रेगिस्तान में "डेसिएर्तो फ्लोरीदो" (Desierto Florido) नामक घटना को जन्म दिया है, जिससे पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थलों में से एक फ्यूशिया रंग के जंगली फूलों की चादरों में बदल गया है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहे हैं।

अटाकामा रेगिस्तान के बारे में

- अटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे शुष्क गैर-ध्रुवीय रेगिस्तान है, जो उत्तरी चिली में स्थित है और लगभग 1,000–1,100 किमी तक फैला है, प्रशांत महासागर और एंडीज पर्वतों के बीच।
- अटाकामा का उपयोग NASA और ESA द्वारा मंगल ग्रह की सतह के समान पृथ्वी के स्थल के रूप में किया जाता है, इसकी अत्यधिक शुष्कता, अति-शुष्क मृदा और उच्च पराबैंगनी विकिरण के कारण।

फ्यूशिया फूलों की बहार (Desierto Florido)

- यह चिली के अटाकामा रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक स्थानीय फूल है, जिसे स्थानीय रूप से "पाटा दे गुआनाको" कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थलों में से एक में पनपता है।
- **सिस्टेन्थे लॉन्गिस्कापा** एक वार्षिक जड़ी-बूटी है जो अनियमित वर्षा के बाद तीव्रता से अपना जीवन चक्र पूरा करती है। इसके बीज वर्षों तक भूमिगत निष्क्रिय रहते हैं और दुर्लभ वर्षा के बाद शीघ्र अंकुरित हो जाते हैं, जिससे यह थोड़ी नमी का पूरा लाभ उठा पाता है।
- यह प्रजाति **क्रासुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म (CAM)** प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग करती है, जो जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत कुशल है। सामान्य पौधों के विपरीत, यह रात में अपने स्टोमाटा खोलता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सके और उसे मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है।

Source: TH

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि वे न्यायिक अधिकारी जिन्होंने सेवा में शामिल होने से पहले अधिवक्ता के रूप में सात वर्षों का अभ्यास पूरा कर लिया है, वे अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के रूप में प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

जिला न्यायाधीशों के लिए पात्रता का विस्तार

- पहले केवल सात वर्षों के अनुभव वाले प्रैक्टिसिंग वकीलों को प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जा सकता था; सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया था। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 233(2) अधिवक्ताओं के लिए योग्यता का प्रावधान करता है, लेकिन सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए कोई अलग योग्यता निर्दिष्ट नहीं करता।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **नियुक्ति का अधिकार:** जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही।
  - यह न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और चयन प्रक्रिया में उच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण भूमिका देता है।

- **पात्रता:** परंपरागत रूप से नियुक्तियाँ निम्नलिखित से की जाती थीं:
  - राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य (अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी), या
  - न्यूनतम 7 वर्षों के अनुभव वाले प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता।
  - हाल के न्यायिक व्याख्याओं ने स्पष्ट किया है कि वे न्यायिक अधिकारी जिन्होंने न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले बार में 7 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है, वे भी जिला न्यायाधीश पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

Source: TH

अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना

संदर्भ

- अफ्रीका में 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना को सेनेगल में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में

- **प्रारंभ:** 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा।
- **उद्देश्य:** सहारा रेगिस्तान को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकना; सेनेगल से लेकर जिबूती और इथियोपिया तक के 11 साहेल देशों में 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करना।

- **लंबाई:** योजना के अनुसार यह दीवार 6,000 किमी तक फैलेगी।
- **विस्तृत उद्देश्य:** पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और आजीविका सृजन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, गरीबी एवं उग्रवाद से निपटना।
- GGW पहल का लक्ष्य वर्तमान में बंजर पड़ी 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करना, 25 करोड़ टन कार्बन को अवशोषित करना और 2030 तक 1 करोड़ हरित रोजगार सृजित करना है।

अफ्रीकी संघ

- अफ्रीकी संघ (AU) एक महाद्वीपीय संगठन है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं।
- यह आधिकारिक रूप से 2002 में स्थापित किया गया था, जो अफ्रीकी एकता संगठन (OAU, 1963–1999) का उत्तराधिकारी है।
- **उद्देश्य:** अफ्रीका की संभावनाओं को साकार करना तथा अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना ताकि अफ्रीका की वृद्धि एवं आर्थिक विकास को गति मिल सके।

Source: DTE

संयुक्त राष्ट्र अपनी वैश्विक शांति सेना में 25% की कटौती करेगा

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र अपनी वैश्विक शांति रक्षा अभियानों में 25% की कटौती करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा वित्त पोषण में भारी कटौती के कारण 13,000–14,000 कर्मियों को नौ मिशनों से हटाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा

- यह वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख तंत्र है।
  - यह संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना, शांति प्रवर्तन और शांति निर्माण सहित अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रयासों के साथ मिलकर कार्य करता है।

- **प्रारंभ:** इसकी शुरुआत 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) की स्थापना के साथ हुई थी, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में युद्धविराम की निगरानी करना था। प्रारंभ में ये मिशन बिना हथियारों के केवल पर्यवेक्षण पर केंद्रित थे, और शीत युद्ध के दौरान वैश्विक तनावों के कारण सीमित रहे।
- **विस्तार:** 1990 के दशक में इसका बड़ा विस्तार हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने बहुआयामी अभियानों की तैनाती शुरू की, जिसमें सैन्य, राजनीतिक और मानवीय प्रयासों को एकीकृत किया गया ताकि गृह संघर्षों का समाधान किया जा सके, शासन को समर्थन दिया जा सके तथा मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

शांति रक्षा में महिलाओं की भूमिका

- महिलाएँ संघर्ष समाधान और शांति निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे समुदायों में विश्वास उत्पन्न करती हैं, यौन हिंसा को रोकती हैं और समावेशी, सतत शांति को बढ़ावा देती हैं—विशेष रूप से स्थानीय महिलाओं और बच्चों के साथ प्रभावी संवाद के माध्यम से।

भारत का योगदान

- भारत ने 1953 में कोरियाई अभियान में भाग लेने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो महात्मा गांधी की अहिंसा की प्रेरणा और "वसुधैव कुटुंबकम्"—अर्थात् "संपूर्ण विश्व एक परिवार है"—की प्राचीन भारतीय भावना को दर्शाता है।
- भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है, जिसके 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा दे चुके हैं।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में महिलाओं को शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, विशेष रूप से 2007 में लाइबेरिया में पहली पूर्ण महिला गठित पुलिस इकाई की तैनाती के माध्यम से, जिससे स्थानीय सुरक्षा को बढ़ावा मिला और महिलाओं को सशक्त किया गया।
- फरवरी 2025 तक, छह प्रमुख मिशनों में 150 से अधिक भारतीय महिला शांति रक्षक सेवा दे रही हैं, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा में लैंगिक समानता तथा महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति भारत की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Source :TH

प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता (PMDA)

संदर्भ

- रूस की संसद के निचले सदन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते (PMDA) से हटने की मंजूरी दे दी है।

PMDA के बारे में

- **हस्ताक्षर:** वर्ष 2000 में किया गया और 2011 से प्रभावी हुआ।
- **उद्देश्य:** इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों को 34 टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था — जो लगभग 17,000 परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए पर्याप्त है।
- **लक्ष्य:** हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम को सुरक्षित रूपों में परिवर्तित करना, जैसे मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन या तीव्र न्यूट्रॉन रिएक्टरों में विकिरणित करना ताकि विद्युत उत्पादन किया जा सके।
  - रूस ने पहले ही 2016 में इस समझौते के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया था, यह दावा करते हुए कि अमेरिका ने समझौते का पालन नहीं किया।

Source: TH

सक्षम

समाचार में

- भारतीय सेना ने SAKSHAM (काइनेटिक सॉफ्ट और हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट के लिए स्थितिजन्य जागरूकता) की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परिचय

- यह एक स्वदेशी रूप से विकसित **काउंटर-मानवरहित हवाई प्रणाली (CUAS) ग्रिड सिस्टम** है, जिसका उद्देश्य उभरते ड्रोन खतरों के विरुद्ध परिचालन तत्परता को सुदृढ़ करना है।
- यह एक **मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल (C2) सिस्टम** है, जो वास्तविक समय के सेंसर डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण और ड्रोन-रोधी क्षमताओं को एकीकृत करता है ताकि **टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस (TBS)** को सुरक्षित किया जा सके।
- **TBS** एक वायुगतिकीय क्षेत्र है जो ज़मीन से 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊँचाई तक फैला होता है।
- इस प्रणाली को **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के सहयोग से विकसित किया गया है।

Source :TH

साहित्य में नोबेल पुरस्कार, 2025

समाचार में

- 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार हंगरी के लेखक **लास्लो क्रास्नाहोरकाई** को उनके "विनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुनः पुष्टि करने वाले प्रभावशाली और दूरदर्शी साहित्यिक कार्य" के लिए प्रदान किया गया।

प्रमुख रचनाएँ

- उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं:
  - **सैटनटैंगो (1985)**
  - **द मेलानचोली ऑफ़ रेसिस्टेंस (1989)**
  - **वॉर एंड वॉर (1999)**
  - **सियोबो देयर बिलो (2008)**
  - **बैरन वेंकहाइम की होमकमिंग (2016)**

क्या आप जानते हैं?

- 1913 में **रवींद्रनाथ ठाकुर** नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय बने।
- उन्हें यह सम्मान उनकी काव्य संग्रह **गीतांजलि** के लिए मिला था।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- **संस्थापक:** नोबेल पुरस्कार की स्थापना **अल्फ्रेड नोबेल** ने की थी, जो एक स्वीडिश रसायनज्ञ, आविष्कारक और उद्योगपति थे।
  - वे डायनामाइट के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **प्रथम पुरस्कार:** नोबेल पुरस्कार प्रथम बार 1901 में प्रदान किए गए, नोबेल की मृत्यु के पाँच वर्ष बाद।
- **प्रशासनिक संस्था:** इन पुरस्कारों का प्रबंधन **नोबेल फाउंडेशन** द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1900 में की गई थी ताकि पुरस्कारों की वित्तीय व्यवस्था और प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।
  - यह फाउंडेशन नोबेल की निधि का निवेश करता है ताकि पुरस्कारों को स्थायी रूप से वित्तपोषित किया जा सके।
- **श्रेणियाँ (6):** शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान।
- **पुरस्कार राशि:** इसमें **11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर** (लगभग ₹1.03 करोड़) की नकद राशि प्रदान की जाती है।

Source :TH